तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.2.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। बहस हेतु मौका चाहते हैं, जो दिया जाकर पत्रावली आइंदा 17.2.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	
17.2.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील की बहस है कि ग्राम अन्नपूर्णानगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 454 व 455 कुल रकबा 10.1495 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की है, जिसमे दोनो पक्ष अपने-अपने हिस्सानुसार विवादित भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण ने मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की इस्तदुआ चाही है, किन्तु संयुक्त खातेदारी की भूमि में अपने हिस्से की सीमा तक खातेदार को बेचान करने का अन्य विधि से हस्तांतरित किये जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अत: ताफैसला मूल वाद दोनों पक्षों को जरिये स्थगन पाबन्द किया जाता है। कि वे एक दुसरे के क[illegible]श्त में दखलदांजी नहीं [illegible] यथास्थिति बनाये रखें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.04.13 17:58:48 IST
Reason: SelfAttested